

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 531]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 27, शक 1934

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-22-280-2003-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (5) में, तृतीय परन्तुक में शब्द तथा अंक “45 दिवस” के स्थान पर शब्द “दो कैलेण्डर माह” स्थापित किए जाएं.

F-22-280-2003-VIII.—In exercise of the powers conferred by Section 24 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Rules, 1991, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 11, in sub-rule (5), in the third proviso, for the figure and word “45 days” the words “two calendar months” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव कुमार झा, सचिव.